निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

वाद संख्या 162/2025

कमलेश गौड पुत्री पन्नालाल पत्नी रमेशचन्द निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद। —वादी—

—बनाम—

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। —प्रतिवादी—

वादपत्र धारा 88, 89 आरटीएक्ट

—:: निर्णय ::—

उपस्थिति :—

1. श्री धर्मराज नायक (वकील वादी)
2. पेरोकार सरकार

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीनी ने इस न्यायालय में एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अधीन इस आशय का प्रस्तुत किया कि :—

- यह कि वादीनी के सयुंक्त खाते एवं स्वामित्व की आराजी माल ग्राम कमोलर पटवार हल्का कमोलर तहसील सांगोद के खाता सं० 236 नई पुरानी 238 के खसरा नम्बर 1061 की 0.03 है०, खसरा नम्बर 1069 की 0.1600 है०, खसरा नम्बर 1070 की 0.20 है०, खसरा नम्बर 1361 की 0.42 है०, खसरा नम्बर 32 की 1.48 है० आराजी स्थित है जिसमें वादीनी का 1/5 हिस्सा दर्ज है।

- यह कि उक्त वर्णित आराजी पूर्व वादीनी के पिताजी के खाते दर्ज रही है। वादीनी का बाल्य काल में घर का बोलता नाम धनकवंर था। उसके बाद वादीनी के पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद के वादीनी के परिवार जन द्वारा वारिसान का नामान्तरण खुलवाते समय वादीनी का घर का बोलता नाम धनकंवर दर्ज करवा दिया तब तब से ही उक्त जमाबन्दी में वादीनी का बचपन का बोलता नाम धनकंवर दर्ज करवा दिया जबकि वादीनी का वास्तविक नाम सरकारी दस्तावेजो, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशनकार्ड, बच्चों के शैक्षणिक दस्तावेजों में भी कमलेश गौड दर्ज है। जबकि वास्तविकता में धनकंवर व कमलेश गौड वादीनी का नाम है। परन्तु वादीनी को उसकी नकल जमाबन्दी के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने, सहकारी प्राप्त करने तथा प्रधान मंत्री सम्मान निधि प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। जिसके बाद वादीनी ने डकत भूमि को सुधार करने के लिए तहसीलदार सांगोद को निवेदन किया तो तहसीलदार महोदय द्वारा कहा गया कि उक्त भूमि न्यायालय से ही सुधार होगी। इसलिए वादीनी द्वारा उक्त भूमि को दुरूस्त करवाने हेतु घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

- यह कि वादीनी द्वारा जब जमाबन्दी को निकालकर किसान क्रेडिट कार्ड तथा पी एम सम्मान निधि योजना में आवेदन करने पर सम्बन्धित ईमित्र द्वारा कहा गया कि आपकी नकल जमाबन्दी में धनकंवर नाम है व अन्य दस्तावेजो में कमलेश गौड है। इस लिए अपना नाम शुद्ध करवाओ तब जाकर आपका आवेदन होगा। उसके बाद वादीनी द्वारा तहसीलदार महोदय के पास शुद्ध करने हेतु निवेदन करने पर तहसीलदार महोदय द्वारा शुवद्ध करने से साफ इन्कार कर देने से वाद करना उत्पन्न हुआ है।

- यह कि उक्त वाद वास्ते घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती का होने से वाद का मूल्यांकन 2000 रूपये नियत किया जाकर उक्त वाद निश्चित न्याय शुल्क 2 रूपये पर अवधि मध्य सादर प्रस्तुत है।

- यह कि वादग्रस्त आराजियात माल ग्राम कमोलर तहसील सांगोद में स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वादिनी के नाम की पुष्टि उसके आधार कार्ड से होती है जिसके आधार पर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज वादिनी के गलत नाम को दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

- अतः वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित माल ग्राम कमोलर पटवार हल्का कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में स्थित आराजीयात के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज वादिनी के गलत नाम धनकंवर के स्थान पर वादिनी के वास्तविक नाम कमलेश गौड को दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जावे एवं उक्तानुसार घोषणा की डिक्री पारित की जोव। और उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रिकोर्ड के इन्द्राज दुरुस्त कर गलत नाम धनकवंर के स्थान पर कमलेश गोड सही नाम करने की घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती की डिक्री वादिनी के पक्ष में पारित फरमाई जावे।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादी 1 की ओर से पेरोकार तहसीलदार सांगोद द्वारा इस आशय का जवाब मय रिपोर्ट पटवार मण्डल कमोलर के साथ प्रस्तुत हुआ कि माल ग्राम कमोलर के खाता संख्या 236 खसरा नंबर 1061, 1069, 1070, 1361 एवं 32 जिसमें धनकंवर पुत्री पन्नालाल जाति खाती हि. 1/5 दर्ज है, की जानकारी ग्राम कमोलर में मजमेआम की गई है। धनकंवर एवं कमलेश दोनों एक ही महिला है जिसका धनकंवर गांव में बोलता नाम/घरेलू नाम है जबकि दस्तावेजों में कमलेश गौड नाम है। ग्राम कमोलर जमाबन्दी संवत् 2058–77 में खाता संख्या 205 के खसरा नंबर 1061, 1069, 1070, 1361 व 32 किता 5 कुल रकबा 2.29 हैक्टर में धनकंवर पुत्री पन्ना जाति खाती के नाम दर्ज थी।

बहस उभय पक्षकारान की सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेजात, अभिवचनों, साक्ष्य एवं तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रस्तुत जवाब मय रिपोर्ट पटवार मण्डल कमोलर का सूक्ष्मतम अवलोकन करने के उपरान्त दावा वादीनी स्वीकार करना उचित समझती हूं।

अतः दावा वादीनी स्वीकार कर माल ग्राम कमोलर पटवार हल्का कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में स्थित खसरा नम्बर 1061 की 0.03 है०, खसरा नम्बर 1069 की 0.1600 है०, खसरा नम्बर 1070 की 0.20 है०, खसरा नम्बर 1361 की 0.42 है०, खसरा नम्बर 32 की 1.48 है० आराजी के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज वादिनी के गलत नाम 'धनकंवर' के स्थान पर वादिनी के वास्तविक नाम 'कमलेश गौड' अंकित किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। वादग्रस्त आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। तदनुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनॉक मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.3.26

(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद

अन्तिम डिकी मुकदमा इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा
बइजलास – श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 162 / 2025

कमलेश गौड पुत्री पन्नालाल पत्नी रमेशचन्द निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद। –वादी–

–बनाम–

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। –प्रतिवादी–

वादपत्र धारा 88, 89 आरटीएक्ट

तारीख फैसला दिनांक .... यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....बहाजरी वादी मिनजानिब मुदई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि ... दावा वादीनी स्वीकार कर माल ग्राम कमोलर पटवार हल्का कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में स्थित खसरा नम्बर 1061 की 0.03 है०, खसरा नम्बर 1069 की 0.1600 है०, खसरा नम्बर 1070 की 0.20 है०, खसरा नम्बर 1361 की 0.42 है०, खसरा नम्बर 32 की 1.48 है० आराजी के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज वादिनी के गलत नाम 'धनकंवर' के स्थान पर वादिनी के वास्तविक नाम 'कमलेश गौड' अंकित किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। वादग्रस्त आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। निज ———— मुबलिग ———— बाबत ———— खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ———— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ———— का अदा करे। सब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख को जारी की गई।

30.3.26
(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद।

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकुमनामा		
बाबत इजराय हुकुमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद।